संख्या-121/2024/994जे0/22-5-24-300(112)/2017

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2024**

विषय- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध रहे सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र श्री बुद्ध सिंह के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-31788/सामा-1(3)/143/बं0चि0धना0-नरेश/2024, दिनांक 24-10-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध रहे सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र श्री बुद्ध सिंह को मा0 सक्षम न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 11-09-2024 को कारागार से रिहा होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-102/2024/779जे0/22-5-24-300(112)/2017, दिनांक 04-10-2024 द्वारा उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत बंदी के उपचार हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 04-10-2024 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या: 121/2024/994जे0(1)/22-5-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
5- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती